ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

अन्दर के पृष्ठों में...

सतत् जीविकोपार्जन योजना से संजू के जीवन में खुशहाली
(पृष्ठ – 02)

योजना के प्रोत्साहन से मिसाल बनी पूनम
(पृष्ठ – 03)

सतत् जीविकोपार्जन योजना के सहयोग से इमराना बनी सफल उद्यमी
(पृष्ठ – 04)

सतत् जीविकोपार्जन योजना

एक नई राह

माह – मई 2023 ।। अंक – 22

सतत् जीविकोपार्जन योजना से दीदियों के जीवन में आया बदलाव

सतत् जीविकोपार्जन योजना, बिहार सरकार द्वारा अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए शुरू की गयी अनूठी योजना है , जो कि भारत सहित विश्व के कई अन्य देशों में अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए अपनाई गयी नीति "क्रमिक वृद्धि कार्यनीति " पर आधारित है। योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जीविका के माध्यम से सम्पूर्ण बिहार में किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य,लक्षित परिवारों का साप्ताहिक गृह भ्रमण के माध्यम से नियमित सहयोग, क्षमतावर्धन प्रशिक्षण, जीविकोपार्जन निवेश निधि का अंतरण, उत्पादक परिसंपत्ति का हस्तांतरण एवं जीविकोपार्जन विविधिकरण करना है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना के क्रियान्वयन में अपनाए गए क्रमिक वृद्धि कार्यनीति और बहुमुखी हस्तक्षेप से अत्यंत निर्धन परिवारों को एक निश्चित समय अवधि में अत्यधिक गरीबी से स्थायी रूप से बाहर आने में मदद की जाती है तथा यह सुनिश्चित किया जाता है कि योजना से लाभान्वित होने के बाद लक्षित परिवार न तो सामाजिक रूप से बहिष्कृत हो और न ही वित्तीय रूप से कमजोर हो। योजना अंतर्गत लक्षित परिवारों को मास्टर संसाधन सेवी के माध्यम से साप्ताहिक रूप से सहयोग देकर सामाजिक तथा आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने हेतु कार्य किया जाता है।

योजना अंतर्गत चयनित अधिकतर अत्यंत निर्धन परिवारों के पास नियमित रूप से पौष्टिक भोजन का अभाव होने के कारण योजना द्वारा सबसे पहले उन्हे खाद्य सुरक्षा के साथ–साथ पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने की दिशा में कार्य किया जाता है ताकि वे अपना जीवन–यापन अच्छे से चला सके। इसके बाद जीविकोपार्जन सूक्ष्म योजना के आधार पर ग्राम संगठन द्वारा लक्षित परिवारों को एकीकृत परिसंपत्ति के सृजन हेतु निवेश में सहयोग दिया जाता है। इसके साथ ही लक्षित परिवारों को जीविकोपार्जन गतिविधियों के फलीभूत होने तक जीविकोपार्जन अंतराल राशि के रूप में सात माह तक सहयोग दिया जाता है। जीविकोपार्जन निवेश के साथ–साथ लक्षित परिवार को साप्ताहिक गृह भ्रमण के माध्यम से क्षमतावर्धन तथा अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाता है जिससे परिवार धीरे–धीरे अति–निर्धनता के दुषचक्र से बाहर निकलने लगता है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़कर दीदियों के परिवार की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया है। आर्थिक सशक्तिकरण के बाद परिवार अब अपने बच्चों पर भी ध्यान दे रहे है। परिवार के सदस्यों को दिन के दो समय का पौष्टिक भोजन मिल रहा है। इसके साथ–साथ इन परिवारों के बच्चों को विद्यालय से जुड़ाव तथा उनकी विद्यालय में नियमित उपस्थिती सुनिश्चित करवाने की दिशा में कार्य किए जा रहे है। सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुडने के बाद दीदियों के जीवन में सर्वांगीण विकास तथा बदलाव देखने को मिल रहा है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना से संजू के जीवन में खुशहाली

दरभंगा जिले के बहेरी प्रखंड स्थित दोहतनारायण गाँव की रहने वाली संजू दीदी के पति वह चलने–फिरने में असमर्थ है तथा अक्सर बीमार रहते है। परिवार के पालन–पोषण की जिम्मेवारी संजू दीदी के ऊपर आ गयी। इस परिस्थिति में संजू देवी दिन में खेतों में मजदूरी करने के अलावा शाम में कचरी–मुरही आदि बेचकर परिवार का भरण–पोषण करने लगी। इतनी मेहनत के बाद भी बीमार पति व बच्चों का पालन–पोषण कर पाना संजू दीदी के लिए काफी मुश्किल हो रहा था।

संजू देवी की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए प्रेरणा जीविका महिला ग्राम संगठन के द्वारा वर्ष 2018 में उन्हें सतत् जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थी के रूप में चयनित किया गया। योजना से जुड़ाव एवं क्षमतावर्धन के उपरान्त उन्हें कुल 37,000 रूपये की आर्थिक मदद प्रदान की गयी, जिससे उन्होंने किराना दुकान शुरू किया। दुकान की आमदनी से उन्होंने बचत करना शुरू किया और बचत के पैसे से उसी दुकान में श्रृंगार का सामान भी बेचना शुरू कर दिया। दुकान से संजू को 10,000–12,000 रूपए मासिक आमदनी होनी लगी है। दीदी ने बचत के पैसों से एक बकरी खरीद कर अब पशुपालन का कार्य भी आरंभ कर लिया है। साथ ही किराये पर 07 कट्ठा खेती की जमीन लेकर खेती का कार्य भी कर रही हैं, जिससे उन्हें काफी फ़ायदा हो रहा है। दीदी की आय से घर का संचालन ठीक से होने लगा है एवं दीदी के दोनों बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं। संजू दीदी के जीवन में सतत् जीविकोपार्जन योजना के माध्यम से एक बार फिर से खुशहाली लौट आयी है।

सुनीता को मिला सतत् जीविकोपार्जन योजना का साथ

कभी मुश्किलों से घिरे रहने वाली सुनीता अब पशुपालन, खेती और किराना दुकान चलाकर अपनी जिंदगी को आसान बना रही हैं। सुनीता देवी मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड के कन्हौली पंचायत के चतुरी पूनाश गांव की रहने वाली हैं। उनके पति मुकेश सहनी देशी शराब बनाने का काम करते थे, लेकिन शराब बंदी के बाद उनके पति का यह काम पूरी तरह बंद हो गया। सुनीता के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। ऐसे में सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत सुनीता का चयन लाभार्थी के रूप में किया गया। योजना के तहत सुनीता को अलग–अलग समयावधि पर सहायता राशि उपलब्ध करवायी गयी। योजना के तहत विशेष निवेश निधि के रूप में दस हजार रुपया दिया गया। जिससे दुकान चलाने के लिए उन्होंने अपने घर की मरम्मत करवाई। इसके बाद ग्राम संगठन के द्वारा उत्पादक संपत्ति के रूप में बीस हजार रुपये से किराना दुकान की संपत्ति खरीदकर दिया गया तथा जीविकोपार्जन अन्तराल राशि के रूप में सात माह तक एक–एक हजार रुपये प्रति माह दिया गया। धीरे–धीरे दुकान में अच्छी बिक्री होने लगी। आमदनी में से वह बचत भी करने लगी। बाद में बचत के पैसों से सुनीता दीदी ने एक भैंस और दो बकरी भी खरीद लिया।

अपने मुश्किल दिनों को याद करते हुए सुनीता दीदी कहती हैं कि– 'पति की तबियत खराब हो जाने के कारण घर में जो भी था सब पति के इलाज में खर्च कर दिया। परिवार में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। जिसके कारण मैं दूसरों के घरों में काम करने लगी।' सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ने के बाद सुनीता दीदी खेती,बकरी एवं भैंस पालन, किराना दुकान चलाकर हर माह सात से आठ हजार रूपये कमा रही हैं। सतत् जीविकोपार्जन योजना से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर सुनीता दीदी अब मुख्य बाज़ार में दुकान करना चाहती हैं। अपने बच्चों को वह पढ़ा–लिखा कर उनका भविष्य उज्ज्वल बनाना चाहती है।

योजना के प्रोत्साहन से मिसाल बनी पूनम

पूनम देवी बक्सर जिला अंतर्गत डुमराव प्रखंड स्थित कृष्णब्रह्म गाँव की रहने वाली हैं। उनके पति की मृत्यु कैंसर से हो गई। पति की मृत्यु के बाद उनके सास–ससुर दूसरे की खेत बटाई पर लेकर खेती करते थे, परंतु बहू पूनम की किसी प्रकार की मदद नहीं करते थे। जिसके कारण पूनम देवी के ऊपर स्वयं के अतिरिक्त दो बेटियों की भरण–पोषण की जिम्मेवारी आ गयी। काफी मुश्किल से वह अपने बच्चों तथा खुद के लिए भोजन की व्यवस्था कर पाती थीं।

इन्हीं कठिनाईयों के बीच 2019 में इनके गाँव में सतत् जीविकोपार्जन योजना का कार्य प्रारंभ हुआ। इनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए इनका चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थी के रुप में किया गया। रूचि के अनुरूप पूनम ने मनिहारी का दुकान प्रारंभ किया। धीरे–धीरे उनके आमदनी में बढ़ोत्तरी होती चली गयी। वर्त्तमान में पूनम देवी को प्रति माह लगभग 5 हजार रूपये आमदनी हो रही है। उनकी दुकान की पूँजी 30 हजार रुपये से बढ़कर 60 हजार रूपया से अधिक हो गई है। मुनाफे की राशि से पूनम ने दो बकरी भी खरीद लिया। वह दुकान चलाने के साथ–साथ फेरी करके कपड़ा भी बेचती है। पूनम की हिम्मत एवं सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ाव उन महिलाओं के लिए मिसाल है जो कमजोर तबके से आती हैं। पूनम बताती हैं कि–'सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ाव के बाद मेरे जीवन में काफी बदलाव आया है। अपने बच्ची को स्कूल में पढ़ाती हूँ। साथ ही ट्यूशन भी कराती हूँ। अब सब अच्छा चल रहा है।'

सतत् जीविकोपार्जन योजना बना सहारा

मालती देवी सारण जिले के गरखा प्रखण्ड के मिठेपुर गाँव की रहने वाली है। दीदी के पति का देहांत गंभीर बीमारी के कारण हो गया। मालती देवी पहले से ही पति के इलाज के दौरान कर्ज में डूब चुकी थी और अचानक उनके पति के मृत्यु ने परिवार को बेसहारा कर दिया। परिवार वालों ने भी उन्हें घर से बेदख़ल कर दिया। मालती देवी किसी तरह से दूसरे के घर में बर्तन धोने एवं मजदूरी का कार्य कर जिंदगी का गुजर बसर कर रही थी।

वर्ष 2019 के जुलाई माह में गरखा प्रखण्ड के ग्राम मिठेपुर में सतत् जीविकोपार्जन योजना का कार्य प्रारंभ हुआ। सामुदायिक संसाधन सेवी एवं ग्राम संगठन की सदस्यों के द्वारा मालती देवी का चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत लाभार्थी के रूप में किया गया।

चयन के पश्चात सतत् जीविकोपार्जन योजना के द्वारा मालती देवी को तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के उपरान्त मालती देवी का आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ा तथा उन्हें शुरुआत में दस हजार रुपये की आर्थिक मदद की गयी जिससे उन्होंने अपने घर पर ही लिट्टी एवं समोसा का दुकान खोली। साथ हीं मालती देवी को सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत ग्राम संगठन के द्वारा परिसंपति के रूप में ठेला एवं दुकान हेतु बर्तन एवं अन्य सामग्री दिया गया जिससे मालती देवी अपने दुकान को बढ़ाते हुए चौमिन, अंडा एवं चाय बेचने लगी। मालती देवी दुकान संचालन के साथ–साथ बचत भी करने लगी और उन्ही बचत का पैसों से रहने के लिए एक छोटे से घर का निर्माण कर ली हैं और अपने बच्चों के साथ खुश है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना के सहयोग से इमराना बनी सफल उद्यमी

इमराना भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड में हरनथ पंचायत स्थित अपने मायके में रहती हैं। सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत जीविका के सहयोग एवं प्रोत्साहन से वह आत्मनिर्भर एवं उद्यमी महिला बन गई है। इमराना की शादी वर्ष 1992 में हुई थी। शादी के कुछ ही साल बाद उनका तलाक हो गया। ऐसे में वह अपने मायके में आकर रहने लगी। इमराना की जिंदगी काफी मुश्किलों में गुजर रही थी। उनके पास आय प्राप्ति का कोई साधन नहीं था। इमराना की दयनीय स्थिति को देखते हुए सितंबर 2019 में गुलशन जीविका महिला ग्राम संगठन की दीदियों ने इनका चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना के लिए किया। योजना से जुड़ाव के बाद उन्हें क्षमता निर्माण एवं उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के उपरांत इमराना ने उद्यम करने का साहस जुटाया। उन्होंने कपड़ों की सिलाई और इसकी बिक्री का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। तदुपरांत इन्हें विशेष निवेश निधि के तहत 10,000 रुपये और सूक्ष्म नियोजन के आधार पर जीविकोपार्जन निवेश निधि के तहत 20,000 रुपये प्रदान किये गए। इसके अलावा जीविकोपार्जन अंतराल निधि के तहत उन्हें सात माह तक एक–एक हजार रुपये दिए गए। योजना से प्राप्त राशि से इमराना ने नवंबर 2019 में एक सिलाई मशीन खरीदी एवं कपड़े की दुकान शुरू की। अब वह कपड़ों की सिलाई के साथ–साथ दुकान में कपड़ा बेचने का व्यवसाय करती है।

शुरुआत में उन्हें अपने व्यवसाय के संचालन और लेखा–जोखा रखने में दिक्कत होती थी। लेकिन एम.आर.पी. द्वारा नियमित रूप से मदद एवं प्रशिक्षण दिए जाने से इमराना व्यवसाय चलाना और लेखा–जोखा रखना अब अच्छी तरह सीख गई है। जीविका द्वारा समय–समय पर क्षमतावर्द्धन किए जाने से उनमें उद्यमशीलता का हुनर विकसित हुआ है। इसके अलावा जीविका दीदियों द्वारा लगातार हौसलावर्द्धन किए जाने से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। दीदी अपनी लगन एवं मेहनत से अपने व्यवसाय को अच्छी तरह आगे बढ़ा रही है। वह बताती है कि उसकी दुकान से प्रतिमाह औसतन 40 से 50 हजार रुपये मूल्य के कपड़ों की बिक्री हो जाती है। इस प्रकार कपड़े बेचने से उन्हें मासिक रूप से 5 से 6 हजार रुपये की आमदनी हो जाती है। वहीं कपड़ों की सिलाई कर वह प्रतिमाह औसतन 4 से 5 हजार रुपये की कमाई कर लेती है। इस प्रकार वर्त्तमान में उसकी कुल मासिक आमदनी 10–12 हजार रुपये से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में इन्होंने अपने व्यवसाय से कुल 6 लाख 40 हजार रुपये से ज्यादा का व्यवसाय किया। इनमें से उन्होंने 1 लाख 5 हजार रुपये से अधिक की आमदनी अर्जित की है।

वित्तीय वर्ष	कुल परिसंपत्ति	कुल कारोबार	वार्षिक आय
2020–21	37,000	3,20,000	68,120
2021–22	1,20,300	4,35,320	84,300
2022–23	1,95,000	6,50,000	1,05,500
			सभी आंकड़े रुपये में

पिछले डेढ़–दो वर्षों से उनकी नियमित मासिक आय 8 हजार रुपये से अधिक होने की वजह से उन्हें स्वावलंबी दीदी के रूपमें चयनित किया गया है। स्वावलंबी बनने के बाद योजना के तहत इन्हें प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही इन्हें जीविकोपार्जन निवेश निधि की दूसरी किस्त के रूप में 27,000 रुपये दिए गए हैं। दीदी ने यह राशि कपड़ा दुकान में निवेश किया और एक फ्रीज खरीदा है। फ्रीज खरीदने के बाद वह अब आइसक्रीम बेचने का भी काम करने लगी है। फिलहाल उनकी दुकान की कुल परिसंपत्ति बढ़कर 1 लाख 7 हजार रुपये से अधिक हो गई है। साथ ही उनके पास अब 3 सिलाई मशीन है। इमराना कपड़ों की सिलाई के साथ–साथ गांव की अन्य महिलाओं को सिलाई का काम सीखा भी रही है।

जीविका, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800021, वेबसाइट : www.brlps.in

संपादकीय टीम
- श्रीमती महुआ राय चौधरी – कार्यक्रम समन्वयक (जी.के.एम.)
- श्री अजीत रंजन – राज्य परियोजना प्रबंधक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन)
- श्री पवन कुमार प्रियदर्शी – परियोजना प्रबंधक (संचार)

संकलन टीम
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, बेगूसराय
- श्री विकास राव – प्रबंधक संचार, भागलपुर
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, सिवान
- श्री रौशन कुमार – प्रबंधक संचार, लखीसराय
- श्री बिप्लब सरकार – प्रबंधक संचार
- श्री मनीष कुमार – प्रखंड परियोजना प्रबंधक